मध्यप्रदेश शासन
मंत्रालय, उच्च शिक्षा 462004.

क्रमांक/1938/2735/अड़तीस/सी–3/08, भोपाल, दिनांक 18.11.2008

//आदेश//

विषयः– सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू एवं धुम्रपान के संबंध में।

***

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी नियमों के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि अनिवार्यतः सार्वजनिक स्थानों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के आस–पास धूम्रपान तथा तम्बाखू उत्पादों की बिक्री तथा सेवन प्रतिबंधित किया गया है। अधिनियम, 2003 को दंडनीय अपराध की श्रेणी में लाते हुए प्रभावी रूप से 2 अक्टूबर, 08 से प्रभावशील किया गया है।

अतः परिसर के आसपास आने वाले 100 मीटर की परिधि में निषेध संबंधी नियमों के अंतर्गत प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयो में अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा आमजन को तम्बाकू एवं धूम्रपान निषेध हेतु सचेत किया जावे तथा उल्लंधनकर्ताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त नियमों का सुदृढ़ रूप से पालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव तथा संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को एतद द्वारा अधिकृत किया जाता है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

14/11/08

(सेवाराम)
प्रमुख सचिव
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृक्र/1938/2735/अड़तीस/सी–3/08, भोपाल, दिनांक 18.11.2008
प्रतिलिपिः–

1 महामहिम राज्यपाल के अपर सचिव की ओर उनके अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक रास/यूए–1/08/1588 दिनांक 21.10.08 के संबंध में सूचनार्थ।
2 कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
3 समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय,म प्र।
4 समस्त प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

14/11/08

(सेवाराम)
प्रमुख सचिव
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश